1

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0 क्र0 .... निग / II / छतरपुर / भू–राजस्व / 2018 / ....

निगरानी- 3422/2018/छतरपुर/भू.25

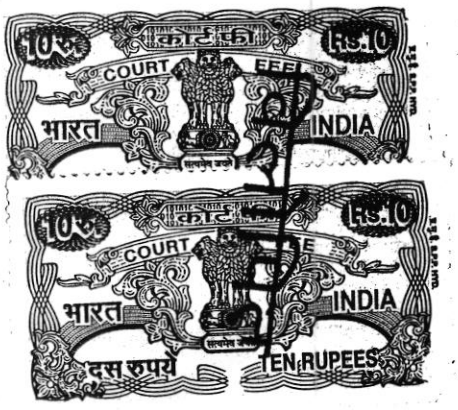

श्री .... द्वारा आज दि० 4-6-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 15-6-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. खेमचन्द्र अहिरवार
2. नन्दी अहिरवार

पुत्रगण रतिया अहिरवार निवासी ग्राम देवथा, तहसील नौगॉव, जिला छतरपुर

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. संजय यादव पुत्र अशर्फीलाल यादव निवासी ग्राम देवथा, तहसील नौगॉव जिला छतरपुर
2. म. प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला छतरपुर

—— प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश तहसीलदार नौगॉव के प्रकरण क्रमांक 139 / अ–12 / 17–18 आदेश दिनांक 05.04.2018

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति ......
पृष्ठ क्र. 01 से 08
दिनांक 4/6/18
हस्ताक्षर व नाम ......

श्रीमान् जी

प्रार्थी की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :–

(1) यह कि, विचारण न्यायालय तहसीलदार नौगॉव जिला छतरपुर के द्वारा पारित सीमांकन आदेश विधि प्रक्रिया के अनुसार नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) यह कि, प्रार्थीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा नं. 603, 439, रकवा 0.745 हैक्टेयर एवं 1.103 हैक्टेयर मौजा देवधर तहसील नौगॉव जिला छतरपुर में है जिस पर कई वर्षों से स्वत्व एवं आधिपत्य है ।

(3) यह कि, विवादित कृषि भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पर सीमांकन कार्यवाही ट्रेस सही किये गये नक्शे के आधार पर नहीं की गई व पुराने सीमा चिन्हों के अनुसार सर्वे क्रमांक 603 के सम्बन्ध में गलत

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3422/2018/छतरपुर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-06-2018	आवेदक की ओर से श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-04-2018 की सत्यप्रतिलिपि को स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन, पंचनामा, सूचना पत्र, फील्डबुक मय नक्शा प्रस्तुत करने के पश्चात भी किसी भी तरह की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है । अतः तहसीलदार द्वारा उक्त दस्तावेज स्वीकार कर प्रकरण समाप्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य	